

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 16, 1978.

No. F. 2 (29) Vidhi/78.—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Nagariya Sampatti (Antaran Par Nirbandhan) Nirsan Adhiniyam, 1978 (Adhiniyam Sankhya 18 San 1978):—

ENGLISH TRANSLATION

THE RAJASTHAN URBAN PROPERTY (RESTRICTION OF TRANSFER) REPEAL ACT, 1978.

(Act No. 18 of 1978)

[Received the assent of the Governor on the 13th day of November, 1978.]

An

Act

to provide for the repeal of the Rajasthan Urban Property (Restriction of Transfer) Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Urban Property (Restriction of Transfer) Repeal Act, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of Rajasthan Act 6 of 1973.—The Rajasthan Urban Property (Restriction of Transfer) Act, 1973 (Rajasthan Act 6 of 1973) is hereby repealed.

महन्तर भूषण शर्मा,

Secretary to the Government.

[प्रथम बार राजस्थान राज-पत्र, भाग 4 (क), दिनांक 16 नवम्बर, 1978
में प्रकाशित]

विधि विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 16, 1978

संख्या प. 2 (29) विधि 78:—राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित
अधिनियम, जिसे राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 नवम्बर, 1978 ई. को प्राप्त हुई,
एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनायें प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन अधिनियम,
1978

(अधिनियम संख्या 18 सन् 1978)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 नवम्बर, 1978 की प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1973 के निरसन
का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के उत्तमोत्तम वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मंडल निम्नलिखित अधि-
नियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरीय
सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन अधिनियम, 1978 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम 6 का निरसन.—राजस्थान नगरीय सम्पत्ति
(अन्तरण पर निर्बन्धन) अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम 6)
एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

महेन्द्र भूषण शर्मा,
शासन सचिव।

मूल्य : 0.10 पैसे